D. No. DOP/B-3

Date ....24 OCT 2013...

राजस्थान सरकार

कार्मिक(ख–3/विद्युत)विभाग

क्रमांकः.प.06(44)कार्मिक/ख–3/सुरक्षा/2010 जयपुर,दिनांक 21 OCT 2013

परिपत्र

शासन सचिवालय परिसर स्थित भवनों के कार्यालयों में स्थापित विद्युत उपकरणों यथा कम्प्युटर, प्रिन्टर,पंखे, कूलर,ए.सी.,ट्यूब लाईट्स, फोटो–कॉपी मशीन,फैक्स इत्यादि को कार्यालय समय में उपयोग में नहीं आने की स्थिति में और कार्यालय समय पश्चात् पूर्ण रूप से ऑफ कर कार्यालय बंद किया जाना सुनिश्चित कराने के कम में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर परिपत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये गये हैं, ताकि अनावश्यक रूप से लापरवाहीवश होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

यह देखने में आया है कि उक्त परिपत्र/निर्देशों की पूर्ण–रूपेण पालना कतिपय विभागों द्वारा नहीं की जा रही है जिससे अनावश्यक विद्युत व्यय भार में वृद्धि तो होती ही है एवं अवकाश के दिनों में उक्त तथाकथित उपकरणों के चालू रहने पर शॉर्ट–सर्किट की संभावना बढ़ जाती है जिससे अग्नि दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहता है और पहले भी सचिवालय में इन्हीं कारणों से अग्नि दुर्घटनाएं हो चुकी है जिसकी वजह रिकॉर्ड एव फर्नीचर आदि का नुकसान भी हुआ है।

अतः सभी अधिकारीगणों से निवेदन है कि अपने–अपने कार्यालयों के अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश प्रदान करें कि आवश्यकता नहीं होने पर बिजली के उपकरण बंद रखे जावें और कार्यालय कक्ष बन्द करते समय बिजली के सभी उपकरण बन्द होना सुनिश्चित करें। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को दण्ड़ित किया जाना भी सुनिश्चित किया जावें तकि विद्युत अपव्यय को रोका जा सके और शॉट सर्किट की वजह से होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके।

कृपया व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।

Reg. website पर display करें 22.10.2013

प्रमुख शासन सचिव
कार्मिक विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री महो., राजस्थान जयपुर।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3 विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण/ संसदीय सचिवगण।
4 समस्त आयोग।
5 निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6 विशिष्ठ शासन सचिव/ संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव/विशेषधिकारी।
7 समस्त सहायक शासन सचिव/ अनुभागाधिकारी।
8 शासन सचिवालय परिसर स्थित समस्त कार्यालय/अनुभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
9 अनुभागाधिकारी, कार्मिक(ख–3/सुरक्षा)/अवधाता,शासन सचिवालय को भेजकर लेख है कि प्रतिदिन कार्यालय समय पश्चात् कमरों के बन्द होने पर बिजली उपकरण एवं लाईटें बन्द होने की जॉच अपने स्तर पर करवाकर पंजीयक,शासन सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करावें, और अनावश्यक रूप से बिजली उपकरण एवं लाईटें चालू पाये जाने की स्थिती में संबंधित अधिकारीगण को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के विरूद्ध राजकीय निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के/लापरवाही बरतने कम में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा जावें।
10 नोटिस बोर्ड।

प्रोग्रामर DOP(B)

18.10.2013

शासन उप सचिव
कार्मिक(ख)विभाग